

प्रेषक,

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक (मा0शिक्षा/प्रा0शिक्षा)
गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।
3. जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पत्रांक:—एजु0पो0/7198-2021-22, दिनांक 16 अगस्त 2021

विषय:— एजुकेशन पोर्टल पर कार्मिकों के डाटा अपडेट करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कार्मिकों (अधिकारी/कर्मचारी/अध्यापक) का ई-प्रोफाइल सम्बन्धित कन्ट्रोलिंग यूनिट द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है।

अतः निम्नानुसार कार्मिकों का विवरण पोर्टल पर पूर्ण रूप से अंकित किया जाना सुनिश्चित करें।

1. कार्मिक के स्थानान्तरण/पदोन्नति की अंकना।
2. सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, वी0आर0एस0, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, लम्बे समय से अनुपस्थित सम्बन्धी कार्मिकों को ड्राप आउट करना।
3. व्यक्तिगत प्रोफाइल की अंकना।
4. नये कार्मिकों की डाटा इंट्री।
5. शैक्षिक योग्यता।
6. प्रशिक्षण योग्यता।
7. सेवायोजित/कार्य व्यवस्था पर कार्यरत कार्मिकों का प्रोफाइल सेवायोजित/कार्य व्यवस्था संस्था में दर्शाना।
8. सेवाओं का मिलान।
9. कार्मिक की स्वयं की बीमारी/विकलांगता/परिवार की गंभीर बीमारी इत्यादि को पोर्टल में मय प्रमाण-पत्र के साथ अंकित करना।
10. अटल आर्दश विद्यालयों की बेवसाईट अपडेट करना।

प्रत्येक दशा में यह कार्य दिनांक 30 अगस्त 2021 तक अनिवार्य रूप से अपडेट कर इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अधोहस्ताक्षरी के अन्तर्गत सभी कार्मिकों (अधिकारी/अध्यापक/कर्मचारी) का डाटा अपडेट हो चुका है। माध्यमिक की दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद (समस्त विकास खण्डों से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर) एवं प्रारम्भिक की दशा में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शिक्षा) सम्बन्धित जनपद (समस्त उप शिक्षा अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर) एवं समस्त कार्यालयाध्यक्ष (कन्ट्रोलिंग यूनिट) विभागीय मेल ua.education@yahoo.in पर दिनांक 01 सितम्बर 2021 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दिनांक के पश्चात पोर्टल अपडेशन हेतु किसी भी दशा में नहीं खोला जायेगा। यह भी ध्यान रहे, कार्मिकों का स्थानान्तरण/पदोन्नति पोर्टल में अंकित डाटा के माध्यम से ही किया जाता है। अतः किसी भी त्रुटि हेतु सम्बन्धित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय
16 अगस्त 2021

(सीमा जौनसारी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड

पृ०सं०/एजु०पो०/7/98-200/2021-22, दिनांक उक्तांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड/अपर परियोजना निदेशक (स०शि०अ०) उत्तराखण्ड, देहरादून/संयुक्त निदेशक (एम०डी०एम०)/अपर निदेशक (एस०सी०ई०आर०टी०/सीमेट) उत्तराखण्ड/ सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड/ जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शिक्षा) उत्तराखण्ड, जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शिक्षा) उत्तराखण्ड को अपने संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के डाटा अपडेशन के पश्चात कार्य पूर्ण का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड/ उप शिक्षा अधिकारी, (प्रा०शिक्षा) को सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शिक्षा के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि विकास खण्ड स्तर पर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का ई-प्रोफाइल खण्ड कार्यालय द्वारा एवं प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का ई-प्रोफाइल उप शिक्षा कार्यालय द्वारा ऑनलाईन किया जाता है, उसका अपडेशन एवं सम्बन्धित विद्यालय/कार्यालय में स्वीकृत पदों का विवरण अपडेट कर कार्य पूर्ण का प्रमाण-पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शिक्षा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


16/8/2021

(सीमा जौनसारी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड